FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

44/2020

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

A1/1

गगनदीप कौर आदि **बनाम** राजस्थान सरकार

अन्तर्गत धारा 53,91 आरटीए नम्बर 44 सन् 2020

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.06.20	वादिया गगनदीप कौर पत्नि प्रदीप सिह जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्री करणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री दर्शन सिंह ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 91 आरटीए पेश किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 06.07.2020 को पेश हो।	
२३/6/२०	आज यह पत्रावली वादीगण अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश २३ नियम 1 CPC पेश करने पर पेशी में ली गई। प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि वादीगण उक्त दावा इसी स्टेज पर वापिस लेना चाहते है। दावा में अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही नही हुई है अत: उक्त अनवान का दावा इसी स्टेज पर वापिस लौटाए जाने के आदेश फरमावें। वादीगण अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा दावा नोटप्रेस करने पर वादपत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम हो (मूलचन्द लूणिया) उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर